WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

DECEMBER 2023

Address- **WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY**

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; Fax: 0121-4346686

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Prashant Kuma

INDEX

- बिजली बिल में तीन महीने मिलेगी छूट
- बिजली लोड बढ़ाने से पहले उपभोक्ता से पूछना होगा
- बिजली दरें होंगी कम
- उपभोक्ता घर बैठे खुद बना सकेंगे बिजली बिल
- बैंक कर्ज देने से पहले रिटर्न की जांच करेंगे
- व्यक्तिगत कर्ज व क्रेडिट कार्ड रखना हुआ महंगा मुश्किल भी
- क्रेडिट संबंधी जानकारी में देरी पर रोज रु100 हर्जाना
- कंपनियों ने पीएफ के 15 हजार करोड़ अटकाए
- समय से पहले खाता बंद करने पर कुल जमा का 1% कटेगा
- ई- श्रम कार्ड धारक योजना में कराएं पंजीकरण, मिलेगा पेंशन का लाभ
- श्रमिक को मिलेगी मदद करना होगा पंजीकरण
- एसएमई को मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित करने के लिए बीएसई ने बनाए नए नियम
- उपभोक्ता व्यवस्था निवारण फोरम करेगा समस्याओं का समाधान
- अब सभी शहरी भवनों में पार्किंग अनिवार्य एक मंजिल अतिरिक्त निर्माण करा सकेंगे
- फ्लैटेड फैक्टरी में शुरू होगा कारोबार
- E-Commerce Sector Urges Centre To Allow FDI For Inventory-Based Export Mode
- RBI Allows Banks To Open Current Account For Export Proceeds
- Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

ईंधन अधिभार में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को देने का प्रस्ताव

बिजली बिल में तीन महीने मिलेगी छूट

यूपी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अगले तीन महीनों तक बिजली के बिल में ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) के तहत औसतन 35 पैसा प्रति यूनिट की दर से छूट का लाभ मिलेगा।

बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए इस छूट का लाभ देंगी। कंपनियों की तरफ से पावर कारपोरेशन ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में श्रेणीवार बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव दाखिल किया है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग का आदेश होने पर उपभोक्ताओं को नवंबर से जनवरी के बीच यह लाभ मिलेगा। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने चेयरमैन अरविंद कुमार से कि उपभोक्ताओं को बिजली दरों में छूट का लाभ दिए जाने के कारपोरेशन के प्रस्ताव को जल्द लागू करने की मांग की।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals,
Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-2221763

18 से 69 पैसे प्रति यूनिट तक छूट

अवधेश वर्मा के मुताबिक अप्रैल से जून तक पहली तिमाही के लिए बिजली कंपनियों ने 30108 मिलियन यूनिट बिजली खरीद का प्रस्ताव पास कराया था, जबकि इस तिमाही में बिजली कंपनियों को कुल 29838 मिलियन यूनिट बिजली ही खरीदनी पड़ी। कम बिजली खरीदने की वजह से 1055 करोड़ रुपये शेष बच गया। इसी धनराशि का लाभ विद्युत दरों में तीन महीने तक कमी कर उपभोक्ताओं को दिया जाना है। श्रेणीवार इस छूट का लाभ 18 पैसे से लेकर 69 पैसे प्रति यूनिट तक की दर से उपभोक्ताओं को मिलेगा।

पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की चारों तिमाही में ईंधन अधिभार वृद्धि का प्रस्ताव पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने नियामक आयोग में दाखिल किया था। इन चारों प्रस्ताव को आयोग ने अनुमोदित नहीं किया था। अनुमोदन मिला होता तो 2022-23 की पहली तिमाही में 35 पैसा, दूसरी तिमाही में 12 पैसा, तीसरी तिमाही में 57 पैसा और चौथी तिमाही में 61 पैसा प्रति यूनिट बिजली दरों में वृद्धि का भार बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ता। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में ही 35 पैसा प्रति यूनिट बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने आयोग में दाखिल किया है।

ग्रामीण अनमीटर्ड वाले उपभोक्ताओं को लाभ

ग्रामीण घरेलू आनमीटर्ड जिनसे अभी 500 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह लिया जाता है उनकी बिजली दरों में प्रति माह 50.90 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह का लाभ होगा। वहीं किसानों को 48.43 रुपये प्रति हॉर्स पावर का फायदा होगा।

इसलिए मिल रही छूट

विद्युत नियामक आयोग के नियम के मुताबिक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही पर ईंधन अधिभार शुल्क पर याचिका दाखिल करनी होती है। केंद्र सरकार द्वारा जो कानून पारित किया गया है, उसके हिसाब से वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह ईंधन अधिभार कानून स्वत लागू होगा। कानून अभी बिजली कंपनियों के लिए लागू नहीं किया गया है।

बिजली लोड बढ़ाने से पहले उपभोक्ता से पूछना होगा

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने बिजली कार्मिकों को निर्देश दिए हैं कि जांच में कनेक्शन पर स्वीकृत भार से अधिक मांग पाई जाती है तो भार वृद्धि के लिए उपभोक्ता की सहमति प्राप्त करें। सहमति फार्म भरवाने के बाद भार वृद्धि जाए। पावर कारपोरेशन के निदेशक अमित कुमार श्रीवास्तव ने इस आशय का आदेश जारी किया है। निदेशक मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल व केस्को को इसके लिए पत्र लिखा है। निर्देश दिया गया है कि सहमति फार्म के आधार पर सिस्टम में तत्काल भार वृद्धि की जाए। पांच किलोवाट से अधिक भार वाले संयोजनों के एक फेज मीटर को तीन फेज मीटर से तत्काल बदल दिया जाए। पावर

कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल का कहना है कि लोड नहीं बढ़ाने पर लगने वाली पेनाल्टी की पर अबउपभोक्ता सहज रूप से अपनी सहमति देने लगे हैं।

INDRA BRICK WORKS

Manufacturers of:
MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

KARTAR SINGH & SONS
Warehouses Unit's

Office:
6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road,
Meerut City-250002
Phone: 0121-4002210
Email: rajinder_2068@yahoo.com

Works:
Malyana Before Bypass,
Baghpat Road,
Opp. Delhi Public School
Meerut City

उपभोक्ता घर बैठे खुद बना सकेंगे बिजली बिल

विद्युत उपभोक्ताओं को बिलिंग संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए ऊर्जा विभाग ने ''ट्रस्ट बिलिंग'' की पहल की है। इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ता घर बैठे अपना स्वयं का बिल तैयार कर, समय रहते जमा कर सकेंगे। सेल्फ बिल जेनरेशन की यह प्रक्रिया समय से बिल न मिलने, गलत रीडिंग और गलत बिलिंग जैसी समस्याओं का समाधान करेगी। ''ट्रस्ट बिलिंग'' की शुरुआत के साथ ही कंज्यूमर ऐप को भी लॉन्च किया। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि कहा कि प्रदेश के 3.28 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को सहज एवं सरल ढंग से सुविधाएं मुहैया कराने की कड़ी में "ट्रस्ट बिलिंग" व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट बिलिंग की सुविधा घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणी के नौ किलोवाट भार तक के उपभोक्ता को मिलेगी। शर्मा ने स्पष्ट किया कि विभागीय वेबसाइट या कंज्यूमर ऐप पर माह में मात्र एक बार ही मीटर रीडिंग दर्ज की जा सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही इस सुविधा का प्रचार-प्रसार किया करें।

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

ऐसे मिलेगा सुविधा का लाभ: उपभोक्ताओं को घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यूपीपीसीएल की वेबसाइट (www.uppcl.org) अथवा www.upenergy.in पर लागिन करना होगा और वेबसाइट के कंज्यूमर कार्नर में जाकर "सेल्फ बिल जनरेशन" (Self Bill Generation) लागिन कर रजिस्टर्ड करना होगा। यहां अपने विद्युत कनेक्शन के खाता संबंधी विवरण को दर्ज कर वर्तमान मीटर रीडिंग के साथ पिछले महीने की डिमांड रीडिंग को भी दर्ज करना होगा। अन्य विकल्प के रूप में यूपीपीसीएल के मोबाईल कंज्यूमर ऐप (UPPCL Consumer APP) को एपल एप स्टोर अथवा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लागिन करने का भी विकल्प दिया गया है। किसी भी विकल्प की प्रक्रिया पूरी करने के 24 से 48 घंटे में उपभोक्ता का बिल जारी हो जाएगा। उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड ई-मेल या उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से बिल की पूरी जानकारी मिल जाएगी। पावर कारपोरेशन की वेबसाइट या एप पर लागिन कर बिल डाउनलोड भी किया जा सकेगा। मीटर रीडिंग देने के 48 घंटे बाद भी बिल जारी न होने पर उपभोक्ता संबंधित एसडीओ व अधिशासी अभियंता से संपर्क कर सकते हैं। यूपीपीसीएल के हेल्पलाइन नंबर 1912 पर भी इसकी शिकायत की जा सकती है।

THE RUG REPUBLIC

Live Smart, Buy Right.

Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

गलत मीटर रीडिंग देने पर डेढ़ गुणा होगी वसूली

ट्रस्ट बिलिंग की जांच के लिए विभाग द्वारा कभी-कभी उपभोक्ता के परिसर में जाकर मीटर की सही रीडिंग की जांच की जाएगी। इस दौरान उपभोक्ता द्वारा पोर्टल पर स्वयं दर्ज कराए गई मीटर रीडिंग और वास्तविक मीटर रीडिंग में गैप पाए जाने पर बिल का डेढ़ गुणा अतिरिक्त एनर्जी चार्ज वसूल किया जाएगा।

- ऊर्जा मंत्री शर्मा ने की ट्रस्ट बिलिंग व्यवस्था की शुरुआत कंज्यूमर एप भी लांच
- घरेलु के साथ वाणिज्यिक श्रेणी के नौ किलोवाट भार तक के लिए मिलेगी यह सुविधा

आवेदनकर्ता के आईटीआर तक पहुंच देने की अनुमति मांगी बैंक कर्ज देने से पहले रिटर्न की जांच करेंगे

बैंक कर्ज देने के नियमों को और सख्त बनाने की तैयारी में है। इसके लिए वे खुद आवेदनकर्ता के आयकर रिटर्न की छानबीन कर सकते हैं। बैंकों ने इसके लिए सरकार से नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के जरिए आवेदनकर्ता की आईटीआर तक पहुंच के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है ताकि वे आवेदन के दावों की सत्यता की जांच अपने स्तर पर कर सकें। वर्तमान में बैंकों के लिए आयकर रिटर्न के ऑनलाइन सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं हैं। बैंकों ने ऐसे कई मामले गिनाए हैं, जिनमें कर्ज प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ताओं ने फर्जी दस्तावेजों के साथ अपनी आय को बढ़ा -चढ़ाकर या गलत बताया है। इससे बैंकों के लोन डिफाल्ट के मामले तेजी से बढ़े हैं।

आरबीआई ने की है सख्ती

बैंकों ने यह कदम तब उठाया है, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ते असुरक्षित ऋण पर चिंता जताई है। हाल ही में आरबीआई ने असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड और एनबीएफसी को उधार देने पर जोखिम भार 25 फीसदी तक बढ़ा दिया है।

कर्ज देने की प्रक्रिया सुरक्षित बनेगी

बैंकों का कहना है कि आयकर रिटर्न तक पहुंच मिलने के बाद कर्ज देने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी । इससे पात्र ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और कर्ज के वितरण में भी तेजी आएगी। सत्यापन की व्यवस्था बन जाने के बाद बैंक संबंधित पोर्टल पर सीधे लॉगइन कर सकेंगे। यह व्यवस्था पैन के ऑनलाइन सत्यापन के जैसे काम करेगी।

फर्जी दस्तावेज लगाने का हुआ था खुलासा

इस मामले से जुड़े लोगो का कहना है कि बैंकों का दावा है कि कई बड़े और छोटे मूल्य के ऋण ग्राहकों ने अपनी उधार सीमा बढ़ाने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी का सहारा लिया है। पिछले साल एक वित्त संस्थान ने राजस्थान में करीब 50 से अधिक ऐसे खातों का पता लगाया था, जिनमें फर्जी आईटीआर के सहारे कर्ज लिया गया था।

व्यक्तिगत कर्ज व क्रेडिट कार्ड रखना हुआ महंगा मुश्किल भी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने असुरक्षित उपभोक्ता और व्यक्तिगत कर्ज के नियम सख्त कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने उपभोक्ता ऋण के ज्यादा जोखिम भार (रिस्क वेटेज) को 100 फीसदी से बढ़ाकर 125 फीसदी कर दिया। इस फैसले से बैंक और गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कर्ज लेना व क्रेडिट कार्ड रखना महंगा हो जाएगा। नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए।

आरबीआई के मुताबिक, ये नियम नए और पुराने, दोनों कर्ज पर लागू होंगे। हालांकि, आवास, शिक्षा, वाहन कर्ज और सोने के एवज में लिए जाने वाले कर्ज दायरे से बाहर रहेंगे। माईक्रोफाइनेंस लोन ओर स्वयं- सहायता समूह के ऋण भी इससे अलग रहेंगे। अब बैंक और गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को उपभोक्ता व व्यक्तिगत कर्ज के लिए अब ज्यादा जोखिम का प्रावधान करना होगा। इससे उपभोक्ता कर्ज देने की क्षमता घट जाएगी और बैंक ज्यादा ब्याज पर कर्ज दे सकते हैं।

असुरक्षित श्रेणी में वाहन ऋण शामिल

आरबीआई के अनुसार, वे सभी टॉप अप कर्ज जो ऐसी संपत्ति के एवज में दिए गए हैं, जिनकी कीमतों में आगे गिरावट आती है, वे उधारी मूल्यांकन व एक्सपोजर उददेश्यों के लिए असुरक्षित वर्ग के कर्ज माने जाएंगे। इसमें वाहन जैसे कर्ज आएंगे।

क्रेडिट कार्ड पर भी बढ़ा रिस्क वेटेज

क्रेडिट कार्ड के लिए रिस्क वेटेज बैंकों के लिए 125 फीसदी और एनबीएफसी के लिए 100 फीसदी है। इसे बढ़ाकर क्रमशः 150 व 125 फीसदी किया गया है। उच्च जोखिम भार का अर्थ असुरक्षित व्यक्तिगत कर्ज के लिए बैंकों को बफर में अधिक पैसा अलग रखना होता है, इससे उधारी देने की क्षमता घटती है।

30% बढ़ा पर्सनल लोन

इस साल तक बैंकों का कुल पर्सनल लोन 48,26,833 करोड़ रूपये रहा। एक साल में यह 30 फीसदी बढ़ा है। सामान्य कर्ज की गति इसी दौरान सिर्फ 12-14 फीसदी ही बढ़ी। ऐसे में कर्ज डूबने का खतरा बढ़ सकता है आरबीआई ने बैंकों से उपभोक्ता ऋण की क्षेत्रीय जोखिम सीमाओं की समीक्षा करने व स्वीकृत सीमाएं लागू करने के लिए भी कहा है।

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

क्रेडिट संबंधी जानकारी में देरी पर रोज रु100 हर्जाना

आरबीआई के बैंकों व कंपनियों को निर्देश

क्रेडिट सूचना कंपनियों को ग्राहकों को क्रेडिट सुधार या अपडेट से जुडी जानकारियों तीस दिन के भीतर देनी होंगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें रोजाना 100 रूपये की दर से ग्राहकों को हर्जाना देना होगा।

आरबीआई के जारी दिशा- निर्देशों के मुताबिक, क्रेडिट संस्थान (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) शिकायत दर्ज कराने की तारीख से 30 दिन में समाधान नहीं करती हैं। तो उन्हें ग्राहकों को प्रति कैलेन्डर दिवस 100 रूपये हर्जाना देना होगा। अगर कंपनी हर्जाने से इन्कार करती हैं, तो शिकायतकर्ता आरबीआई लोकपाल से संपर्क कर सकता है।

यह निर्देश सभी बैंकों, गैर- बैंकिंग कंपनियों व क्रेडिट सूचना कंपनियों को भेजे गए हैं। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह फ्रेमवर्क छह महीने में लागू हो जाएगा।

टर्म डिपॉजिट: परिपक्वता से पहले कर सकेंगे निकासी

आरबीआई ने टर्म डिपॉजिट से परिपक्वता समय से पहले राशि निकालने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, यह नियम 15 लाख तक जमा पर लागू होगा। साथ ही, टर्म डिपॉजिट की दूसरी श्रेणी में न्यूनतम जमा 15 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रूपये कर दिया है। इसमें भी समय से पूर्व निकासी कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा, यह नियम सभी वाणिज्यिक व सहकारी बैंकों पर लागू होगा। ऐसी जमा पर अभी सालाना साथ फीसदी से ज्यादा ब्याज मिल रहा है।

कंपनियों ने पीएफ के 15 हजार करोड़ अटकाए

निजी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के पीएफ खाते में रकम न भेजने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के मुताबिक, कई कंपनियों ने संगठन के पास

पीएफ के करीब 15 हजार करोड़ रुपये जमा नहीं कराए हैं। इसमें पेंशन कोष की रकम भी शामिल है।

यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2023- 23 का है। संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों के दौरान इस बकाया रकम में करीब 10 फीसदी का इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2018- 19 में निजी कंपनियों का पीएफ का बकाया 74.2 फीसदी था, जो 2022- 23 में बढ़कर 83.17 प्रतिशत हो गया।

ऐसी डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ ईपीएफओ दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 तक तीन महीने का विशेष अभियान चलाएगा।

कर्मी ऐसे दर्ज करें शिकायत

लिखित - क्षेत्रीय ईपीएफओ कायार्लय में संपर्क कर कंपनी के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसमें अपना और नियोक्ता के पूरे विवरण के साथ पीएफ खाते का ब्योरा देना होगा।

ऑनलाइन - ईपीएफ शिकायत पोर्टल EPFiGMS पर लॉगइन कर ऑनलाइन शिकायत दे सकते है। इसके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएनए) होना जरुरी है।

उमंग ऐप - EPFiGMS सेवा उमंग (UMANG) ऐप पर भी उपलब्ध है। ईपीएफओ सर्विसेज का चयन करना होगा। वहां शिकायत दर्ज कराने का विकल्प मिलेगा। दर्ज होने की पुष्टि एसएमएस, ईमेल से की जाएगी।

DAS HYUNDAI
At Hyundai, We are going
Beyond Mobility
Das Building, Abulane, Meerut
Mob: 9557909977, 955790998

समय से पहले खाता बंद करने पर कुल जमा का 1% कटेगा

वरिष्ठों की बचत योजना के निकासी नियम बदले

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना से पैसों की निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके तहत तय अवधि से पहले खाता बंद करने पर जमा राशि में कटौती की जाएगी। अगर एक साल की निवेश अवधि समाप्त होने से पहले खाता बंद कर दिया जाता है तो कुल जमा राशि में एक प्रतिशत काट ली जाएगी। पहले कुल जमा पर दिया गया ब्याज वसूल किया जाता था और पूरी शेष राशि खाता धारक को लौटा दी जाती थी।

बचत खाते जितना ब्याज लागू होगा: हाल ही में डाक विभाग ने इस संबध में अधिसूचना जारी की है। नए नियमों के मुताबिक, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) में दो साल, तीन साल और पांच साल के लिए निवेश करने के बाद अगर छह माह बाद और एक साल से पहले खाते को बंद कर दिया जाता है तो जितने महीने निवेश किया है, उसके हिसाब से ब्याज मिलेगा। यह ब्याज दर डाकघर बचत खाते के अनुरूप होगी।

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com

A Pioneer Unit for Manufacturing of:

“MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD”

पांच साल का विकल्प बंद

वहीं, पांच साल तक के लिए निवेश करने के बाद अगर कोई चार साल में खाता बंद करता है तो इस स्थिति में भी बचत खाते का ही ब्याज लाभ मिलेगा। पहले इस स्थिति में तीन साल तक के इस योजन का ब्याज दर लागू होती थी। इसके अलावा पांच साल की निवेश अवधि को भी हटा दिया गया है।

ई- श्रम कार्ड धारक योजना में कराएं पंजीकरण, मिलेगा पेंशन का लाभ

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों, रिटेल ट्रेडर्स और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। तैयार किए गए पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले पात्र को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम तीन हजार रूपये पेंशन के रूप में हर माह प्रदान किए जाएंगे। सहायक श्रम आयुक्त डॉ. महेश कुमार पांडेय ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई- श्रम पोर्टल (www.eshram.gov.in) विकसित किया है। पोर्टल पर जनपद में 11,40,556 कामगारों द्वारा अपना पंजीयन कराया है।

श्रमिक को मिलेगी मदद करना होगा पंजीकरण

मेरठ परिक्षेत्र उप श्रमायुक्त राजीव कुमार सिंह ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा ई- श्रम पोर्टल पर पंजीकृत विभिन्न श्रेणी के असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

ई- श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को अनुग्रह राशि मॉड्यूल के अंतर्गत मृत्यु एवं दिव्यांगता की स्थिति में डीएम की अध्यक्षता में गठित स्तरीय समिति के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत ई- श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को दो लाख की धनराशि प्रदान की जाएगी। जबकि दुर्घटना होने पर श्रमिक को पूर्ण व स्थायी दिव्यांग हो जाने पर दो लाख व आंशिक स्थायी दिव्यांगता पर एक लाख रूपये की

सहायता दी जाएगी। पंजीकृत श्रमिक आयकरदाता या ईएसआइसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आवेदक कायार्लय उप श्रमायुक्त, श्रम भवन बेगमब्रिज रोड पर भी संपर्क कर सकते हैं।

एसएमई को मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित करने के लिए बीएसई ने बनाए नए नियम

बीएसई ने अपने एसएमई प्लेटफॉर्म से मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित होने को इच्छुक छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, इसके तहत आवेदक के पास पिछले दो वित्त वर्षों में कम से कम 15 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक की चुकता इक्विटी पूंजी 10 करोड़ रूपये से अधिक होनी चाहिए और बाजार पूंजीकरण कम से कम 25 करोड़ रूपये होना चाहिए।

आवेदक कंपनी पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में अतीत में या वर्तमान में कोई मामला नहीं होना चाहिए। पिछले तीन वर्षों में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज ने एसएमई और उसके प्रमोटरों के खिलाफ व्यापार को निलंबित करने जैसी कोई नियामक कार्रवाई नहीं की गई हो। आवेदक कंपनी को कम से कम तीन वर्षों के लिए एसएमई प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध होना आवश्यक है। मुख्य बोर्ड में जाने से पहले उनके पास 250 सार्वजनिक शेयरधारक होने चाहिए।

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

उपभोक्ता व्यवस्था निवारण फोरम करेगा समस्याओं का समाधान

पीवीवीएनएल के अंतर्गत कंपनी स्तर पर बनाया गया उपभोक्ता व्यवस्था निवारण फोरम अब क्रियाशील हो गया है। उत्तर प्रदेश विधुत नियामक आयोग द्वारा निर्गत उपभोक्ता व्यवस्था निवारण फोरम के अंतर्गत आने वाली शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। इसमें बिजली बिल व विभाग से संबंधित शिकायतों का निस्तारण कराया जाएगा। इसमें मानकों के अनुसार निष्पादन संबंधी मामले, कोल सेंटरों की कार्यप्रणाली, एक करोड़ से अधिक के बिल व आकलन संबंधी मामलों की सुनवाई की जाएगी। क्षेत्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण होगा।

अब सभी शहरी भवनों में पार्किंग अनिवार्य एक मंजिल अतिरिक्त निर्माण करा सकेंगे

कैबिनेट का फैसला: कम जमीन पर भी स्कूल व अस्पताल का नक्शा पास

योगी कैबिनेट ने शहरों में सभी प्रकार के भवनों में पार्किंग की व्यवस्था को अनिवार्य किया है। ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था करने वाले को भवन में एक मंजिला अतिरिक्त निर्माण की मंजूरी दी जाएगी। साथ ही छोटे भूखंड पर भी अब स्कूल व अस्पताल बनाने का नक्शा पास किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि- 2008 (यथा संशोधित) में संशोधन को मंजूरी दी है। बहुमंजिला इमारतों और व्यवसायिक संस्थानों में आए दिन होने वाले शार्ट सर्किट की रोकथाम के लिए तारों की एमबी भी मानक के अनुसार लगाना अनिवार्य किया है। शहरों में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए सभी प्रकार के भवनों के लिए स्टिल्ट फ्लोर का प्रावधान करने का निर्णय लिया है।

भवनों के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था करने वाले को एक फ्लोर अतिरिक्त बनाने की अनुमति दी जाएगी। भवन निर्माण में लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए भवनों की अधिकतम ऊंचाई 17.5 मीटर करने, आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के

तौर पर यदि निजी टाउशिप में पांच टावर बनाने का नक्शा पास कराने वाला अगर दो टावर बनाकर आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र लेना चाहता है तो उसे दे दिया जाएगा।

फ्लैटेड फैक्टरी में शुरू होगा कारोबार

परतापुर- भूड़बराल में प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप बेहद खास होगी। मेरठ विकास प्राधिकरण की इस टाउनशिप में फ्लैटेड फैक्टरी कल्चर भी विकसित होगा।

अभी तक कारखाने और फैक्टरियों भूखंड में ही बनते थे, अब न्यू टाउनशिप में स्टिल्ड़ स्ट्रक्चर के तहत फैक्ट्रियां वर्टिकल बनाई जाएंगी। इसमें अलग से औधोगिक ब्लॉक बनाया जाएगा, जिसमे कई तल पर फैक्टरी संचालित हो सकेंगी। एनसीआर की आठ फीसदी आवासीय और व्यावसायिक जरूरतों का यह पूरा करेगी। मेडा पहले फेज के अंतर्गत 142 हेक्टेयर में इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करेगा। इसमें 100 हेक्टेयर जहां आवासीय होगा तो वहीं 27 हेक्टेयर को व्यावसायिक उपयोग और 20 हेक्टेयर को आईटी के लिए आरक्षित किया गया है।

आरआरटीएस स्टेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कारीडोर, दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेसवे, मोहिउद्दीनपुर स्टेशन की दूरी यहां से महज डेढ़ किमी रहेगी। सिटी स्टेशन से दस और परतापुर से चार ममी की दूरी रहेगी। ऐसे में यहां तैयार सामान को बाजार भी सुलभता से मिलेगा। आने वाले समय में रैपिड का विस्तार भी होगा। दिल्ली व जेवर से कनेक्टिविटी से दुनियाभर में सामान निर्यात किया जा सकेगा। मेरठ महायोजना 2031 में रैपिड कॉरिडोर के तहत वैल्यू कैप्चर कास्ट के तहत इसे मिश्रित भू- उपयोग में रखा गया है, ताकि रैपिड के संचालन में वित्तीय फंड जुटाया जा सके। सिटी लॉजिस्टिक प्लान (सीएलपी) को भी इसमें शामिल किया गया है। अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी (यूएमटीसी) की ओर से तैयार ड्राफ्ट के तहत 2164 करोड़ से यह बनेगा। इसमें मौजूदा आबादी 24.15 लाख का आकलन करते हुए साल 2042 में अपेक्षित संसाधन और मौजूदा स्थिति के तहत रोजगार पर फोकस किया गया है। उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि बैंडबाजा व खेल उद्योग के साथ ही अन्य निर्माण इकाइयों और लघु उद्योगों को बढ़ाने की रुपरेखा भी तैयार की गई है।

E-Commerce Sector Urges Centre To Allow FDI For Inventory-Based Export Mode

The e-commerce industry has recommended the government to permit foreign direct investment in the inventory-based model of online trade exclusively for export purposes, a senior government official said on Friday.

At present, the FDI policy does not permit foreign direct investment in the inventory-based model of e-commerce.

Director General of Foreign Trade (DGFT) Santosh Kumar Sarangi said that they are working on several steps to promote exports through e-commerce medium.

He said that the e-commerce stakeholders have asked the department for the promotion of industry and internal trade (DPIIT) to relook at the FDI policy on this issue.

"For export purposes, if these (rules) could be revisited is something that we are requesting the DPIIT to examine and explore... and this could be one step forward for creating the e-commerce export zones that DGFT and its team has been working on," Sarangi said.

Regarding initiatives to boost exports through e-commerce, the official mentioned that steps are being taken to address challenges faced by exporters, including smaller ones under the mandatory GST regime.

The Directorate is collaborating with the Department of Revenue to explore the possibility of a scheme similar to the 'composition levy scheme' for smaller players. This could potentially exempt them from mandatory GST until they reach a specified export value threshold.

"Similarly, exports through e-commerce many a time are not getting benefits like duty drawback or DGFT schemes like Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) or Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL). So we are now working with Express Cargo Clearance Systems (ECCS) and postal bill of exports to ensure that the shipping bills flow directly so that these kinds of exports also get covered under these kinds of schemes," he said.

He added that the DGFT is also working with the Department of Post to ensure that Dak Niryat Kendras and foreign post offices (FPOs) get strengthened and expanded.

The Department of Post has the objective to open 1,000 such Kendras which will work on a hub and spoke model with the FPOs and they are trying to ensure that the export consignments are reached at the quickest possible time, get the customs clearance and are sent abroad.

RBI Allows Banks To Open Current Account For Export Proceeds

The Reserve Bank of India (RBI) on Friday gave banks permission to open additional current account for exports proceeds in addition to special rupee vostro accounts.
With this move the central bank aims to provide greater operational flexibility to exporters.
To provide greater operational flexibility to exporters, banks maintaining special rupee vostro account as per the provisions of the RBI circular dated July 11, 2022 are permitted to open an additional special current account for its exporter constituent exclusively for settlement of their export transactions, RBI said in a notification.
In July 2022, the RBI had asked banks to put in place additional arrangements for export and import transactions in Indian rupees in view of increasing interest of the global trading community in the domestic currency.
"In order to promote growth of global trade with emphasis on exports from India and to support the increasing interest of global trading community in INR, it has been decided to put in place an additional arrangement for invoicing, payment, and settlement of exports/imports in INR," it said.
India has been trying to promote rupee trade following the Russia-Ukraine war and the sanctions imposed by the West.
In July 2022, the Reserve Bank of India (RBI) decided to allow the settlement of India's international trade in rupee.
Accordingly, authorised Indian banks must open and maintain special rupee vostro accounts of the partner trading country's banks.
These accounts keep the foreign bank's holdings in the Indian counterpart in rupees. When an Indian trader wants to make a payment to a foreign trader in rupees, the amount will be credited to this vostro account.
Similarly, in the reverse scenario, the amount to be paid to an Indian trader is deducted from the vostro account, and credited to the person's regular account.

SAI ELECTRICALS

Dealing in:
Transformer & Servo
Sai Dhaam, Vicyoria Park, Meerut-250001
Mob. No.: 7533900800, 9927869400
E-mail: info@saielectricals.com Website: www.saielectricals.com

Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

Nipro PharmaPackaging India is part of Nipro Corporation Japan. Nipro, a global healthcare company employs over 35k colleagues and has a culture of high performance, customer focus, and employee engagement. This has led Nipro PharmaPackaging India to being awarded with the certificate of the Great Place to Work – Oct' 22 – Oct'23. In addition to the above achievement, Nipro PharmaPackaging India has now earned its recognition as being one of the top 50 "India's Best Workplaces in Manufacturing 2023".

Ashish Moghe, the Managing Director of Nipro in India, states, "Nipro's dedication to investing in its workforce is a key factor in its success. In 2022, Nipro PharmaPackaging India gathered further pace in the last year and crossed a few milestones. One such milestone was getting certified as a Great Place To Work! The Great Place to Work® Certification Program is the first step for an organization on its journey of building a High-Trust, High-Performance Culture™ and our organization has successfully accomplished this milestone.

To continue the same path of progress and development for us as individuals and as an organization we also enrolled ourselves for assessment for yet another prestigious certification, which is TOP 50India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. This year, 201 organizations in the Manufacturing sector undertook this assessment. All these organizations underwent a rigorous assessment. The results are finally out, and it gives me an immense amount of joy and pride to share that both plants of Nipro PharmaPackaging India (Meerut & Pune) HAVE WON THIS CERTIFICATION!!

I feel honoured to be a part of such a fantastic team. Looking forward to creating many more milestones"

"We are thrilled to receive the recognition as India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. We are committed to fostering an environment of transparency, teamwork, and participation. Our organization promotes bonding among colleagues and encourages continuous improvement.Our team takes pride in working for a Great Place to Work certified company, and this recognition not only attracts top talent but also builds loyalty among our employees. The Trust Index study conducted by Great Place to Work provides valuable insights for us to improve as an organization. We strive to be an employer of choice and this recognition is a testament to our efforts.", states Mr. Juned Akhtar(General Manager- Human Resource, Nipro PharmaPackaging India Pvt. Ltd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX